आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/निःशुल्क/2016/1319 दिनांकः 05 मार्च, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– निःशुल्क शिक्षा योजना बाबत।
सन्दर्भ :–इस कार्यालय का परिपत्र कमांक 1287 दिनांक 15.02.19 एवं 1308 दिनांक 25.02.2019.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा निःशुल्क शिक्षा योजनान्तर्गत आपको निर्देशित किया गया था कि दिनांक 02.03.19 तक निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित कर, आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर अपनी अभिशंषा सहित हस्ताक्षर मय सील लगाकर स्वीकृति की कार्यवाही कर आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित बजट की सूचना प्रेषित करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था।

परन्तु बडे ही खेद का विषय है कि कई महाविद्यालयों द्वारा आज दिनांक तक सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय के पात्र विद्यार्थियों की संख्या एवं पुनर्भरण योग्य शिक्षण शुल्क की गणनानुसार आवश्यक बजट की सूचना पत्र के माध्यम से दिनांक 11.03.2019 तक मेल आई.डी. **jdacad1960@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे आपके महाविद्यालय को बजट आवंटित किया जा सके। नियत तिथि पश्चात् कोई बजट स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना प्रेषित करने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि –
वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड हेतु।

5/3/19

(डॉ.आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)